

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/6/33

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रिड़मलराम पुत्र
खमाराम 2 बाबुराम 3
जगदीश 4 धर्मेन्द्र
पिसरान टीलाराम 5
तारोंदेवी पत्नि टीलाराम
6 नीम्बाराम पुत्र
चन्दाराम 7 गैरों पत्नि
चन्दाराम 8 मेऊराम पुत्र
कृपाराम जाति मेघवाल
निवासी हरूपाणी
(भीमडा) तहसील बाटाडु
जिला बाडमेर।

1 केसाराम 2 भेराराम पिसरान जवानराम 3 गोरखाराम पुत्र
हीराराम 4 चेतनराम पुत्र बुलाराम 5 नेनाराम 6 पोकरराम
पिसरान हीराराम 7 वाली देवी पत्नि देदाराम 8 रामचन्द्र दत्तक
पुत्र जमनादेवी जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा)
तहसील बाटाडु बाड़मेर 9 नरसाराम पुत्र गोरखाराम 10
सवाईराम पुत्र गोरखाराम जरिये वलिया माता केसी देवी 11
केसीदेवी पत्नि गोरखाराम 12 जालुराम 13 मगाराम पिसरान
भुराराम 14 कसुम्बी देवी पत्नि मूलाराम 15 नेनु देवी पत्नि
मोतीराम जाति जाट निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु
जिला बाडमेर। 16 मोडाराम पुत्र मानाराम 17 निम्बाराम 18
पूनमाराम पिसरान हीराराम 19 पारू देवी पत्नि हीराराम जाति
जाट निवासी जोंगुओं की ढाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला
बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 189/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरूपाणी पटवार क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडु जिला बाडमेर के
खसरा संख्या 726/615 रकबा 4.2230 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6134-37

दिनांक- 17.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रिड़मलराम पुत्र खमाराम जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केसाराम पुत्र जवानराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर